न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/38

ललित नारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री तेजनारायण जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी हरीहर भवन, बृजराजपुरा, इन्द्रा मार्केट, कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
2. ग्रामवासी चक मोहिपुरा पटवार क्षेत्र गुमानपुरा जरिये सरपंच तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं उपखण्ड अधिकारी, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 04.09.2017 के द्वारा ग्राम चक मोहीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 115/28 किस्त बजड करबा 02 बिस्वा को राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पाट/04 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 (ए) के प्रावधानों के विपरीत निर्णय अधूरा अस्पष्ट पारित कर तहसीलदार बून्दी को अपूर्ण निर्णय की पालना हेतु निर्देशित किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जेधारी खातेदार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना केवल तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 04.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

4. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 28/1 रकबा 03 बीघा वाके ग्राम चक मोहिपुरा तहसील बून्दी जिला बून्दी जिसके बाद संशोधन वर्तमान नम्बर 116/28 रकबा 03 बीघा अपीलान्ट के खाते में दर्ज है जिसके आस–पास कोई सिवायचक भूमि नहीं है और न ही प्रार्थी की भूमि से सार्वजनिक रास्ता है । राजस्व अधिकारियों ने रसूख वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर वर्तमान राजस्व अभियान के दौरान प्रार्थी के खेत की बाउण्ड्री तोडकर जबरन रास्ता निकाल दिया इससे पूर्व प्रार्थी को न कोई नोटिस दिया और न सुनवाई का अवसर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । प्रार्थी को अपने अधिकारों के लिए अपील पेश करने की अनुमति न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय से अपने हितों पर विपरीत प्रभाव पडने का कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जिससे अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र पेश किये जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने से दिनांक 27.11.2018 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 28/1 रकबा 03 बीघा भूमि वाके ग्राम मोहिपुरा तहसील बून्दी व जिला बून्दी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है । अपीलान्ट के नाम इंतकाल संख्या 122 दिनांक 12.06.2006 से आराजी खाते में दर्ज हो चुकी है । यह आराजी खसरा नम्बर 28 का उत्तर दिशा का एक भाग है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 116/28 रकबा 03 बीघा अपीलान्ट के खाते दर्ज है । इसके पास खसरा नम्बर 115/28 सिवायचक आराजी नहीं है । ग्राम मोहिपुरा में आने –जाने के लिए खसरा नम्बर 30 था जो खसरा नम्बर 29 एवं खसरा नम्बर 28 के उत्तर दिशा से होकर गुजरता है । अपीलान्ट की क्रयशुदा भूमि के उत्तर में कोई सिवायचक भूमि नहीं है परन्तु ताकतवर व्यक्तियों ने गुपचुप तरीके से राजस्व अधिकारियों से मेल मिलाप कर अपने खेतों में जाने के लिए खसरा नम्बर 115/28 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा जो मौके पर वास्तव में है ही नही पर धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत अपीलान्ट के खाते की क्रयशुदा भूमि के मध्य से रास्ता निकालने का आदेश पारित कर दिया जिसकी पालना में राजस्व अभियान के दौरान अपीलान्ट की भूमि के मध्य से बिना सुनवाई बिना नोटिस खसरा नम्बर 181/115 रकबा 0.02 बीघा कायम कर नया रास्ता निकाल दिया, जिसकी सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर धारा 96 सीपीसी के तहत यह अपील पेश की जा रही है । निर्णय धारा 251 (ए) के प्रावधानों के विपरीत है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे (23) 2016 पेज 338 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि यह प्रशासनिक आदेश है जिसकी अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक आदेशिका संलग्न है जिसके अनुसार तहसीलदार के प्रस्ताव पर आराजी खसरा नम्बर 115/28 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा जो कि सरकारी सिवाय चक आराजी है पर राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में सार्वजनिक रास्ता कायम करने का आदेश दिया है । यह आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जो राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में सरकारी सिवायचक आराजी में सार्वजनिक रास्ता कायम करने के लिए जारी किया गया है । इस प्रशासनिक आदेश की अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि आदेश 251 (ए) के तहत पारित नहीं किया गया है । वैसे भी वादग्रस्त आराजी जिसमें रास्ता कायम किया गया है वो संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के

अनुसार खसरा नम्बर 115/28 सरकारी सिवायचक है और अपीलान्ट के अनुसार उनके खाते में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 116/28 की है । अपीलान्ट ने जो खाते की नकल अपील में पेश की है उसके अनुसार भी उनके खाते में 116/28 की आराजी दर्ज है। खसरा नम्बर 115/28 की आराजी उनके खाते में दर्ज नहीं है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि मौके पर खसरा नम्बर 115/28 की आराजी मौजूद नहीं है तो वे विधिक प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं । उपखण्ड अधिकारी के द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए सिवायचक आराजी में से रास्ता कायम करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किये हैं जिसकी अपील न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रास्ता अपीलान्ट के खाते में दर्ज आराजी में कायम नहीं किया गया है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है ।

13. निर्णय आज दिनांक 20.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा